निषेधसूत्रमत्यन्तस्वार्थिकमपि कनं ज्ञापयति। बहुतरकम्।" (वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी स्वार्थिकप्रकरणम्)

तत्रापि स्वार्थिके तात्पर्यं प्रकृत्यर्थे प्रत्ययः परन्तु कानिचित् स्थलानि सन्ति यत्र प्रकृत्यर्थो नाम स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकारकादिः। परन्तु कुटीरः, अप्कल्पम् इत्यादौ अपि भिन्ना स्थितिः। तत्र कुटीशमीशुण्डादिभ्यो रः इति सूत्रेण ह्रस्वो कुटी कुटीरः, ईषदसमाप्ता आपः "ईषदसमाप्तौ कल्पब् देश्यदेशीयरः" सूत्रेण कल्पप् प्रत्यये सति अप्कल्पम् इति। तर्हि अत्र प्रकृत्यर्थः स्त्रीलिङ्गविशिष्टः परन्तु तद्धिते सति पुल्लिङ्गविशिष्टः, नपुंसकलिंङ्गविशिष्टश्च। अत्रापि प्रकृत्यर्थं नानुवर्तते कारणं किम् तदर्थं एका परिभाषा **क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते।** अत्र क्वचित् पदं दत्तं तस्य तात्पर्यं भूतिकारः स्पष्टयति लौकिकसिद्धलिङ्गत्वाच्च। इतोऽपि स्वार्थिकाः लिङ्गवचनानि नातिवर्तन्ते स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतिके लिङ्गवचनानि न अतिक्रमन्ति। उभावपि पक्षौ स्तः।

लौकिकत्वं वैज्ञानिकत्वञ्च- मनुष्येच्छानुरूपं विकल्पविशिष्टं तद्धितप्रकरणम्। यदि कश्चिदिच्छति तदा वृत्तिविशिष्टं वदति। न जानाति नेच्छति चेत् सामान्यं विग्रहविशिष्टमेवाभिदधाति। वृहद्धूतं शब्दरूपं लघुरूपेण प्रस्तौति। मूलप्रकृतिस्थाने अन्यथादेशं विधाय च अन्यथारूपमपि तस्मिन्नर्थे प्रयुनक्ति। उच्चारणकृतं वैशिष्ट्यं स्पष्टं भवति। नवीनाः शब्दाः दृष्टिपथमायान्ति। गद्यलेखने, पद्यलेखने, छन्दसाधने, स्वरूपप्रदाने च तद्धितप्रत्ययविशिष्टाः प्रत्ययाः दृष्टिपथमायान्ति। तेन मानवाध्ययनस्य वैचित्र्यं लोके प्रसिद्धं भवति। अन्यथा एकाङ्गी भवति। तद्धितप्रकरणमेवं प्रकरणमस्ति यत्र प्रातिपदिकधात्वोरुभयोरपि प्रयोगः दृश्यते। लोके प्रसिद्धाः ये ये पक्षाः ते समेपि अन्तर्भूताः भवन्ति।

सहायकग्रन्थावली

१. दीक्षितः, भट्टोजी, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, मोतीलालबनारसीदासः, वाराणसी २००६

२. मिश्रः, आजादः, संस्कृत के प्रत्ययो का भाषाशास्त्रीय, मधुकरप्रकाशनं, लखनऊ, १९८९

३. भर्तृहरिः, तिवारी, हरिनारायणः, वाक्यपदीयम् (द्वितीय भागः) चौखम्भासंस्कृतसीरीज, ऑफिस, वाराणसी २०१५

४. गोविन्दाचार्यः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धितप्रकरणम्, चौखम्भासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी २०१७

५. स्वामीरामभद्राचार्यः, पाणिन्यष्टध्यायी, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली २०२१

६. भट्टः नागेशः, लघुशब्देन्दुशेखरः, चौखम्भासंस्कृतभवनम्, वाराणसी १९६८

७. पतञ्जलिः महाभाष्यम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नव देहली, १९६७

-सह-आचार्यः,
कुमारभास्करवर्मसंस्कृत-पुरातनध्ययनविश्वविद्यालय
नलबाडी, असम

मनुस्मृतेः प्रासङ्गिकता

-डॉ. राजकुमारपिलवालः

भारतवर्षस्य धर्मशास्त्रीयग्रन्थेषु मनुस्मृतिः प्राथम्येन उल्लेख्याऽस्ति। यद्यपि विंशतिः स्मृतिग्रन्थानामुल्लेखो भवति, परं मनुस्मृतिरेव सर्वप्रमुखः मन्यते। द्वादशषु अध्यायेषु मानवजीवनस्य कृते विविधविषयानां विवेचनं मनुस्मृतौ अस्ति, परं विषयाणां स्थूलदृष्ट्या विभाजनेन तत्र त्रिविधविषयाणां विवेचनं प्राप्यते। ते सन्ति-आचारः, व्यवहारः प्रायश्चित्तश्च। मानवजीवनस्य यानि कानि कार्याणि भवन्ति तेषां समाहारः स्मृतिग्रन्थेषु उपर्युक्तत्रिविधिभेदेष्वेव सञ्जायते।

एकः प्रश्नोऽयं जायते यत्साम्प्रतिके युगे मनुस्मृतेः प्रासङ्गिकता अस्ति वा न वा? प्रश्नोऽयमतीव विकटः यतोहि प्रायः विंशतिशताब्दीपूर्वरचितस्य मनुस्मृतेः प्रासङ्गिकता कथमाधुनिकयुगे भविष्यति? मनुस्मृतौ मानवानां सनातनधर्मानुसारं नियमाः उल्लिखिताः सन्ति, अतः प्रायः ते नियमाः प्रासङ्गिकाः सन्त्येव तथापि केचन नियमाः सम्प्रति त्याज्याः एव सन्ति। काले-काले मनुस्मृतेः प्रासङ्गिकता परिवर्तिता जाता, अतएव यथाकालं विविधानां स्मृतिग्रन्थानां रचना सञ्जाता। तथापि मनुस्मृतेः अधिकतराः विषयाः विगतकालेष्वपि प्रासङ्गिकाः आसन्, सम्प्रत्येव सन्ति, अग्रेऽपि स्थास्यन्तीति।

मनुस्मृतौ विस्तरेण धर्मतत्त्वस्य विवेचनं प्राप्यते, परं तत्र यस्य धर्मस्य विवेचनमस्ति स तु मानवानां जीवनप्रणाली एवास्ति। 'धारणाद् धर्म' इति परिभाषानुसारं मानवजीवने ये विषयाः ग्राह्याः सन्ति त एवं धर्मतत्त्वे परिगणिताः सन्ति। अत एव सर्वस्मिन् काले तस्य प्रासङ्गिकता निर्विवादा एव। मनुस्मृतौ-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ६/७२

इति यत् कथितमस्ति तत्तु सर्वदैव प्रासङ्गिकं भविष्यति। अधुना धर्मशब्दस्य भिन्नार्थे प्रयोगो दृश्यते। समाजे हिन्दूधर्म इति कथनस्याभिप्रायः भवति हिन्दूसम्प्रदाय इति। परं मनुस्मृतौ धर्मतत्त्वे यद्वर्णितमस्ति तत्तु सर्वेषां सम्प्रदायानां कृते पूर्णतया ग्राह्यमस्ति।

मनुस्मृतौ आचारेषु यमानां नियमानां वा यः उल्लेखः प्राप्यते सोऽपि सर्वदैव प्रासङ्गिकः, परं तेषां पालने शिथिलतायाः ये दण्डादयाः वर्णिताः सन्ति ते तु पूर्णतया प्रासङ्गिकाः न सन्ति। इत्थमेव दैनन्दिनव्यवहाराणां केचन विषयाः अप्रासङ्गिकाः सन्ति, यतोहि साम्प्रतिके युगे होमजपादीनां कृते समयस्याल्पता एवास्ति। मनुना सुरापानस्य यादृशी निन्दा कृतस्ति सा तु पूर्णतया प्रासङ्गिकी, परं सुरापानार्थिनां कृते यादृशः प्रायश्चितः वर्णितोऽस्ति स तु प्रासङ्गिकः नैव भवितुमर्हति। ईदृशी एवं स्थितिरस्ति द्यूतस्य, चौर्यस्य, वञ्चनस्योत्कोचस्य च। असत्यभाषणस्य कृते जारकर्मणः कृते च मनुना यत्प्रतिपादितमस्ति तत्तु प्रासङ्गिकमेवास्ति।

मनुस्मृतौ आश्रमव्यवस्थायाः विस्तृतं विवेचनं वयं प्राप्नुमः। तत्र ब्रह्मचर्याश्रमविषये यत्कथितमस्ति तत्तु युक्तियुक्तमेवास्ति। ब्रह्मचर्याश्रमं विना गुरोः शुश्रूषया विना वा अध्ययनं दुष्करं भवति। गुरोः शुश्रूषायाः अभावेनैव सम्प्रति छात्राः उच्छृंखलाः अवलोक्यन्ते। मनुना गृहस्थानां कृतेऽपि यादृशस्य आचरणस्य व्यवस्था कृतास्ति सा तु प्रासङ्गिकतां भजत एव। मनुष्यः गृहस्थाश्रमे निवसन् सदैव धर्मार्थकामानां समुचितरीत्या उपभोगं कुर्यादिति यत् मनुना प्रतिपादितमस्ति, तत्तु सत्यमेवास्ति। परं साम्प्रतिके वैज्ञानिके युगे पञ्चयज्ञस्य महत्त्वं सन्देहास्पदमेव प्रतीयते। तथापि मातुः, पितुः, गुरोश्च भक्तः गृहस्थः जीवने सुखी तिष्ठति। गृहस्थानां कृते मनुस्मृत्तौ अतिथिसेवायाः दानस्य च महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति, तत्तु उचितमेवास्ति यतोहि एतादृशः गृहस्थः सद्गुणसम्पन्नः जायते। वानप्रस्थाश्रमस्य व्यवस्था यद्यपि साम्प्रतिके युगे निरर्थकमिवास्ति, परं यथा वानप्रस्थी गृहत्यागी जायते तथैव मानवः यदि स्वकीयजीवनस्य तृतीयेंऽशे स्यात्तर्हि तस्य जीवनं सुखमयं स्यात्। तस्य वने निवासस्तु उचित एव प्रतीयते। चान्द्रायणादिव्रतस्यापि प्रासङ्गिकता सन्देहास्पदा तिष्ठति। इत्थमेव संन्यासाश्रमस्य विवेचनमपि नोचितं प्रतीयते तथापि जीवनस्यान्तिमे काले संसारेण विरक्तः स्यादिति पूर्णतया औचित्यावहः। संन्यासावस्थायां सर्वभूतेषू दया, अक्रोधः, क्षमा, सत्यभाषणादिकस्योल्लेखं मनुः करोति, तत्तु जीवनस्यान्तिमावस्यायां सर्वेषां कृते उचित भविष्यति। यद्यपि प्रत्यक्षतः परोक्षतः वा आश्रमव्यवस्थायाः प्रासङ्गिकता सिद्धयति तथापि यदि एतेषां पालनं नियमानुकूलरूपेण स्यात्तर्हि समाजे या उच्छृंखलता दृश्यते तस्याः नाशनं भवेत्।

मनुस्मृतौ आश्रमेषु गृहस्थाश्रमः सर्वप्रमुखः वर्तते। पति–पत्न्योः सहावस्थानेनैव गृहस्थाश्रमः कल्प्यते, अतः प्रकारान्तरेण समाजे नार्याः महत्त्वं निर्विवादमेवास्ति। मनुस्मृतौ 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता', 'स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन' तथा यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्धते 'प्रभृतीनि वाक्यानि नारीणां महत्त्वं प्रतिपादयन्ति, तथापि मनुस्मृत्यनुसारं नारीणां स्थानं पुरुषाणां पश्चादेवास्ति, तत्तु नोचितं प्रतिभाति। परं याः स्त्रियः सच्चरित्राः सुशीलाश्च भवन्ति ताः अवश्यमेव समाजे आदरणीयाः भवन्ति।

मनुना विवाहसंस्कारविषये बहु कथितमस्ति। अष्टविधविवाहेषु सः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्यान् उचितं स्वीकरोति आसुरगान्धर्वपैशाचराक्षसान् च निन्दति। मनुः केषाञ्चन कृते आसुरगान्धर्वौ च स्वीकरोति यौ साम्प्रतमपि प्रासङ्गिकतां भजेते। आसुरविवाहे वरपक्षस्थाः कन्यापक्षं प्रति धनं ददाति तदपि उचितं नैव प्रतीयते, परमाधुनिके काले समाजे या स्थितिः अस्ति सा तु अतीव निन्दनीयास्ति। महर्षिः मनुः अपि स्त्रीधनस्योल्लेखं करोति, किन्तु अद्य तु स्त्रीधनस्य दुरुपयोग एवास्ति। साम्प्रतिके युगे तु कन्याविक्रयं न भवति, किन्तु वरविक्रयं भवति, अतः विषयेऽस्मिन् मनुस्मृतिः पूर्णतया प्रासङ्गिकी वर्तते। किन्तु साम्प्रतं समाजे ब्राह्मदैवार्षविवाहानामपि प्रासङ्गिकता नैव सिद्धयति, यद्यपि एते विवाहप्रकाराः आदर्शकोटिकाः सन्ति। यदि सर्वेषां वर्णानां कृते एते विवाहप्रकाराः स्वीकृताः स्युः तदा आदर्शस्थिते स्थापना भविष्यति। मनुस्मृतौ अनुलोमप्रतिलोमविवाहयोः सङ्केतोऽस्ति। मनुः प्रतिलोमविवाहं तु नैव स्वीकरोति अनुलोमविवाहमपि कामवशातः कृतं मनुते। वस्तुतः समाजिकीव्यवस्थायाः कृते द्वावपि विवाहप्रकारौ त्याज्यौ स्तः। यदि समाजे एतादृशाः विवाहाः भवेयुः तदा तत्र द्वयोः पक्षयोः सहमतिः आवश्यकी स्यादन्यथा वयं पश्यामो यत् प्रेमविवाहेन विवाहिताः जनाः प्रायः कलहमानाः एव तिष्ठन्ति 'स्त्रीरत्नं दुष्कलादपि' इत्यादिवाक्यानि साम्प्रतं प्रासङ्गिकतां नैव भजन्ते, परं यदि 'दुष्कल' इति शब्दस्यार्थः 'निम्नवर्ण' इति न स्यात्तर्हि

प्रासङ्गिकतापि विराजत एव। विवाहस्य वयविषये मनुस्मृतौ यत्कथितमस्ति तदपि उचितं न प्रतिभाति, यतोहि मनुस्मृतिः कन्यायाः बालविवाहस्य पोषकोऽस्ति इत्थमेव बहुपत्नीत्वस्यापि भावना प्रासङ्गिकी नास्ति। विवाहविषये महर्षेः मनोः या धारणास्ति यत् विवाहः केवलमेकजन्मनः स्थितिः न भवति अपितु जन्मजन्मानन्तरस्य सम्बन्धा भवति, तत्तु उचितं प्रतिभाति, अनया धारणया दम्पत्योर्मध्यो विवादस्य सम्भावना क्षीणा जायते परं मनुना प्रतिपादिता नियोगव्यवस्था प्रासङ्गिकी नैव सिद्धयति।

दायविषये स्मृतिकारेण यत्प्रतिपादितमस्ति प्रायः तदेव साम्प्रतमस्माकं विधयः अपि प्रतिपादयन्ति। मनुना भ्रातृषु अग्रजस्य यच्छ्रेष्ठत्वं प्रतिपादितमस्ति तत्तु उचितं प्रतिभाति, परं सम्प्रति विधिदृष्ट्या सर्वे भ्रातरः समानाः एव सन्ति।

महर्षेः मनोः या व्यवस्था सर्वाधिका विवादग्रस्ता अस्ति साऽस्ति वर्णव्यवस्था। साम्प्रतिके युगे अस्याः व्यसस्थायाः घृणितं रूपं भारतीयसमाजे दृश्यते। यद्यपि अस्माकं प्राचीनमहर्षिभिः गुणकर्मानुसारं वर्णव्यवस्था स्थापितासीत् परमग्रे एषा व्यवस्था जन्मतः सञ्जाता। एषा स्थितिः प्रासङ्गिकी नैवास्ति, परं केचन वैदेशिकाः अपि मनुना प्रतिपादितायाः वर्ण-व्यवस्थायाः मुक्तकण्ठेन प्रशंसां कुर्वन्ति। यदि वस्तुतः समग्ररूपेण समाजे मनुना प्रोक्ता वर्ण-व्यवस्था स्यात्तर्हि तस्याः प्रासङ्गिकता भविष्यति, परमेतादृशी व्यवस्था साम्प्रतं भवितुं नार्हति। मनुना इदमपि प्रतिपादितमस्ति यदुच्चवर्णस्य जनः यदि अपराधं करोति तदा सः विशेषरूपेण दण्डनीयः भवति। तथापि समाजस्य विकासे एषा वर्ण-व्यवस्था अवरोधरूपा एवास्ति, अतः प्रासङ्गिकी नैवास्ति।

निष्कर्षतः समग्ररूपेण विचारेण वयं कथयितुं समर्थाः यत् प्रायः विंशशताब्दीपूर्वरचितस्य मनुस्मृतेः अनेके विचाराः साम्प्रत्यति प्रासङ्गिकाः सन्ति, परं केचन विचाराः त्याज्याः सन्ति। वस्तुतः सामाजिकी व्यवस्थायाः कृते मनुस्मृतेः अधिकतराः विषयाः विगतकालेष्वपि प्रासङ्गिकाः आसन्, सम्प्रत्येव सन्ति, अग्रेऽपि स्थास्यन्तीति।

-गृह सं -०९, ग्रामः-मंगलपुरः
पत्रालयः-माँढ़ण, तहसील-माँढ़ण,
वार्ड सं.-०१, नगरपालिका-माँढ़ण,
जिला-कोटपुतली-बहरोड़ः,
राजस्थानम्-३०१७०४

मीमांसायां काव्यशास्त्रे च शब्दार्थयोः स्वरूपम्

-डॉ. मनीषा प्रवीनः

शब्दः क? इति विषये दार्शनिकेषु भूयान् मतभेदो दृश्यते। मीमांसकेषु उपवर्ष इति नामाचार्यः वृत्तिकार आसीदिति तत्र तत्रोल्लिख्यते। स आचार्यः वर्णाः शब्दाः इत्यङ्ग्यकार्षीत्।[1] परं मीमांसायां तावत् 'अर्थप्रतिपत्तये गीतः वर्णविशेषः शब्द' इत्यभिधीयते। अतः केवलस्य वर्णस्य शब्दत्वं नास्ति न वा अर्थाप्रतिपादकस्य वर्णसमुदायस्य। 'वर्णसमुदायः यश्चार्थं प्रतिपादयेत्' स शब्द इत्यभिधीयते।[2] अर्थः कः? 'प्रतिपादनशक्तेन शब्देन यत् प्रत्याय्यते, प्रतिपाद्यते स अर्थः।' मीमांसादर्शने आकृत्यपरपर्याया जातिरेव शब्दस्याभिधेयो व्यक्तिस्तु आक्षेपेण लक्षणया वा लभ्या इति मीमांसकानां सिद्धान्तः।[3] यदि आकृतिव्यतिरिक्ता व्यक्तय एव सर्वत्र शब्दार्थाः स्युः ततस्ताभिर्व्यभिचारात् सम्बन्ध एव शब्दस्य न सिद्धयति न वा नित्यत्वम्। आकृतिवाच्यत्वे तु शब्दस्य सम्बन्धो नित्यता चेति प्रयोजनमूलकमाकृतिशब्दार्थत्वस्वीकरणम्।[4] अत्र आकृतिरिव शब्दस्यार्थः सा च भिन्नेषु पिण्डेषु एकबुद्यालम्बनरूपा।

मीमांसादर्शने शब्दार्थसम्बन्धविचारः

मीमांसा तु वेदार्थविचाराय प्रवृत्तं शास्त्रम्।[5] तत्र विचाराय स्वीकृतो वेदो नित्यो नित्यशब्दमयत्वात् इति तेषामाशयः। तथैव शब्दार्थयोर्यस्सम्बन्धस्सोऽप्यौत्पत्तिक इति ते ब्रूयुः।[6] तत्र वेदस्य नित्यतोक्ता सूत्रे, भाष्ये, वार्तिके च।[7] मीमांसाशास्त्रे यथा शब्दार्थौ नित्यावाम्नातौ तथैव शब्दार्थयोस्सम्बन्धोऽपि औत्पत्तिकपदापरपर्यायत्वेन नित्य आम्नातः। अत्र शब्दस्यार्थेन सह सम्बन्ध औत्पत्तिकः अर्थात् उत्पत्तिकाले भवः न तूपत्त्यनन्तरकाले भावी। अत्रोत्पत्तिशब्देन उत्पद्यमानगतः सत्त्वापरपर्यायो भाव उच्यते। तत्र भाव औत्पत्तिकः। शब्दार्थयोश्च सत्त्वस्य सर्वदा। विद्यमानत्वात् सम्बन्धस्तयोरपि सन्नेव सर्वदा।

आश्रयकादाचित्कत्वेन स्वकादाचित्कत्वेन वा सम्बन्धस्य नित्यत्वं कादाचित्कत्वं स्यात्-यथा तन्तुपट्योः तादात्म्यस्य यथा च परमाण्वोः संयोगस्य। शब्दार्थयोः पुनः सम्बन्धो नित्याश्रयो यावदाश्रयभावी च दृश्यते इति न कादाचित्कः तस्मात् शब्दार्थयोस्सम्बन्धस्य शब्दार्थाविव नित्यत्वम्। अत्र शब्दार्थतत्सम्बन्धानां नित्यत्वाङ्गीकारस्तु वेदस्यापौरुषेयत्वसाधनाय तथा वेदस्य शब्दमयत्वेन प्रामाण्य-साधनाय।[8] शब्दस्यावयवसंयोगस्याभावादपिशब्दो नित्य

१. गकारौकारविसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः। शा. भा. शब्दार्थाधिकरणम् पृ. ५४

२. तस्माच्छब्देन या मतिः। तस्याः स्वतः प्रमाणत्वं न चेत् स्माद्दोषदर्शनम्।। श.प. ५३, शास्त्रं शब्दविज्ञानादसन्निकृष्टेऽर्थे ज्ञानम्। पू.मी.सू.

३. जातिमेवाकृतिं प्राहुर्व्याक्तिराक्रियते यया। सामान्यं तच्च पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनम्।। आ.वा. ३

४. आकृतिव्यतिरिक्तेऽर्थे सम्बन्धो नित्यातास्य च। न सिध्येतामिति ज्ञात्वा तद् वाच्यत्वमिहोच्यते।। आ. वा.। श्रोत्रग्रहणे ह्यर्थे लोके शब्दशब्दः प्रसिद्धः। ते च श्रोत्रग्रहण इति प्रत्यक्षबलेन वर्णा एवं शब्द इति। परीक्षितम्। (भा.वा.१) तत्रार्थप्रत्ययद्वारं कृतं शब्द निरूपणम्। स्फो.वा. ३

५. मीमांसाशास्त्रतेजोभिर्वशेषेणोज्ज्वलीकृते। वेदार्थज्ञानरत्ने मे तृष्णातीव विभ्मते।। प्र. सू. श्लो. वा. १

६. औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञानमुपदेशः, अव्यतिरेकचार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाणं बादरायणस्थानपेक्षत्वात्। पू.मी. सू. १.१.५

७. पुरुषस्य सम्बद्धरभावाते कथं सम्बन्धो नास्ति। प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्याभावात् तत्पूर्वकत्वाच्चेतरेपाम्। पू. मी. सू. शा. भा. १.१

८. तस्माद् वेदप्रमाणार्थं नित्यत्वमिह साध्यते। श० नि० अ०७

एव न त्वनित्यः। आकृतिनित्यत्वाच्च नित्यशब्दाभिधेयस्याकृतिपदार्थस्यापि नित्यत्वमेवाङ्गीकृतं शास्त्रे। शब्दार्थयोरर्थप्रतिपत्तिरूपैकक्रियानियमात्सम्बन्धः सिध्यत्येव।[९] एवं च मीमांसकैरकृत्रिमः संज्ञासंज्ञिलक्षणः शब्दार्थयोस्सम्बन्धोऽङ्गीकृतः।[१०] एतादृशः संज्ञासंज्ञिलक्षणस्सम्बन्धः प्रमाणत्रयाधीनोऽर्थापत्त्या बुध्यते।[११] एवं च शब्दस्य उच्चारणमेवाभिव्यञ्जकमतोऽस्य हेतुर्नास्ति, अस्यावयवविभागो नास्ति, सर्वदेशे साक्षाद्भविष्यति। अत एव व्योमादिवत् शब्दो नित्यः, अर्थोऽपि तत्प्रतिपाद्य आकृतिरूपत्वान्नित्यः, तयोस्सम्बन्धोऽपि उभयसम्बन्धरूपसंज्ञासंज्ञिलक्षणो नित्य इति मीमांसकानां शास्त्रीय आघोषः।[१२]

काव्यशास्त्रे शब्दार्थयोः स्वरूपम्

काव्यशास्त्रं हि कविकर्मरूपिणि शब्दार्थसन्दर्भ-साहित्ये चमत्कारितां विचारयति। चमत्कृतेरेव प्राणत्वात् शाब्दिकानामिव, नैयायिकानामिव, मीमांसकानामिव वा शब्दस्य प्रमाणत्वेन विचारणं नात्र भवति। काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु परीक्षितेषु सत्सु काव्यप्रकाशग्रन्थे शब्दस्य स्वरूपविचारः न कृतः। शब्दार्थयोरुभयव्यासज्य-वृत्तित्वेन काव्यं लक्षयित्वा ततोऽनु वाचकत्वलक्षकत्वव्यञ्जकत्वभेदैश्शब्दा विभक्ताः न तत्र शब्दः कः इति सामान्यलक्षणमुक्तम्। एवमपि वाचकत्वलक्षकत्वव्यञ्जकत्वान्यतरसम्बन्धेनार्थप्रतिपादकत्वं शब्दस्य लक्षणमित्युक्तं भवति।[१३]

इमां शास्त्रीयन्यूनतां विज्ञाय साहियदर्पणकृत् विश्वनाथोऽसूत्रयत् वर्णाः, प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः पदं भवन्ति इति।[१४] मतमिदं मीमांसाशास्त्रीयैकदेशिनाम् उपवर्षादिवृत्तिकाराणां मतमनुकरोति यैश्च वर्णा एव पदं गौरित्यत्र गकाशैकारविसर्जनीयाः[१५] इत्युक्तं तन्मतमुल्लिखता भाष्यकारेण शबरस्वामिना। अर्थश्च काव्यशास्त्रे जातिरूप इति बहूनां मतम्। परमत्र बहूनि मतानि विद्यन्ते। केचित् व्याकरणदर्शनमनुगच्छन्तो जात्यादिचतुष्टये उपाधौ शक्तिमङ्गीकुर्वन्ति।[१६] अन्ये तु मीमांसाशास्त्रमनुसरन्तः जातिरेव प्राणदः इति जातिशक्तिवादमङ्गीकुर्वन्ति।[१७] तत्र शब्दस्य अर्थस्य च यः सम्बन्धोऽस्ति, तथा शब्दार्थयोर्नित्यानित्यत्व-विषये वा साहित्यशास्त्रे न किमपि समुपलभ्यते। शब्दार्थयोर्मध्ये वाच्यवाचकभावसम्बन्धो लक्ष्यलक्षकभावसम्बन्धो व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्धो वा

---

९. प्रतिपत्तावुपादानात् साहित्ये च विवक्षिते ।

१०. अभिधायकता पुनः। नियम्यते यदेकस्यां सम्बन्धः सोऽर्थशब्दयोः। श्लो० वा०० सा० आ० वा० १३.
तन्निमित्तेति सम्बन्धः संज्ञासंज्ञित्वलक्षणः ।। श्रो० वा०, स० आ० वा० ३१

११. शब्दवृद्धाभिधेयाँश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति ।।
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ।। १४० स० आ० प०
अन्यथानुपपत्त्या च बुध्येच्छक्तिं द्वयाश्रिताम् ।।
अर्थापत्त्यावबुध्यन्ते सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम् ।। १४१

१२. शब्दो यथा पौद्गलिको निषिद्धः स्यादवायवीयस्य स एवं मार्गः। तस्मादनिर्धारितहेतुमार्गः सर्वत्र साक्षाद् भवतीति नित्यः । श० नि० अ० ४४४.

१३. स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यन्जकविधा का० प्र० द्वि० उ०.

१४. वर्णाः पदं प्रयोगाहानन्वितैकार्थबोधकाः ।। सा० ८० द्वि० प० २.

१५. अ० पू० मी० सी० भा० पृ० ४८.

१६. सङ्केतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च। सा० द० द्वि० पा० का० ४. एष्वेव हि व्यक्तेरुपाधिषु सङ्केतो गृह्यते, न व्यक्तौ, आनन्त्यव्यभिचारदोषापातात् । सा० १० व० १० ३६,

१७. सङ्केतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। का० प्र० का० १०. सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये। पृ0 २५. अयं च जातिरूपः शब्दार्थः प्राणद इत्युच्यते। प्राणं व्यवहारयोग्यतां ददाति सम्पादयतीति व्युत्पत्तेः । पृ० १५५.

अङ्गीकर्तव्य नित्यत्वानित्यत्वरूपं दार्शनिकविचारमविगणस्य। एतादृशं त्रिकं सम्बन्धं विहाय अन्यत्र सम्बन्धे साहित्यशास्त्रं न किमपि वक्ति।[१८] सूक्ष्मतरविचारे क्रियामाणे सति एतद्वक्तुं शक्यते यत्, सर्वत्र प्रायशः साहित्यशास्त्रविदः वैयाकरणसिद्धान्तमनुगच्छन्ति इति। तस्मात् शब्दार्थसम्बन्धविषये, वैयाकरणसिद्धान्तः बहष्वंशेष स्वीकार्यो भवति। शब्दानाम् अर्थस्य च औत्पत्तिकत्ववादिनो ये मीमांसकाः तेषां सिद्धान्त औत्पत्तिकत्वविषयेऽङ्गीकार्यो भवेदिति वक्तुं शक्यते।

शब्दार्थयोः तत्सम्बन्धविषये च वैयाकरणनैयायिकयोः मतम् वैयाकरणानां मते शब्दार्थौ, तयोः सम्बन्धश्च-

एतेषां मते नित्योऽपि शब्दो न वर्णात्मकः किन्तु गोशब्दोच्चारणानन्तरं मनसि प्रकाशमानमनवयवं विभु स्फोटरूपं वाक्यमनाद्यविद्योपदर्शितालीकवर्णपदविभागवत् अर्थस्य प्रतिपादकम् । यद्यपि वर्णपदयोः, पदवाक्ययोर्वा पारमार्थिको भेटो नाङ्गीक्रियते, तथापि व्यवहारपथपतितैरयं भेदः वर्णपदवाक्यानां कर्तव्य एव भवति।[१९] अत एव कल्पितपदपदार्थविभागेन लोकव्यवहारः कल्पयितव्यः, पारमार्थिकदृष्ट्या वाक्यस्फोट एव अर्थबोधक इत्याशयः।[२०]

परापश्यन्तीमध्यमावैखर्याख्यासु चतसृषु शब्दोत्पत्तिदशासु वैखरी एव श्रोतृग्राह्या अर्थप्रत्यायनकारणीभूता स्फोटाभिव्यञ्जनसमर्था च विद्यते।[२१] एतेषां मते, अव्यक्तशब्दः परापश्यन्तीमध्यमादशां प्रपन्नो नित्योऽलौकिकत्वात्, परन्तु उपाधिवशात् कुसुमोपहितादर्श वर्णकवदनित्यो भवति व्यक्तः शब्दः। अतः आस्यगत-विविधकण्ठतालुमूर्धन्यादिस्थानोपहितपवनविस्फोटनेन व्यक्तत्वं प्रपन्नः कर्णशष्कुल्या ग्राह्यत्वकक्षां प्रविष्टः ध्वनिरूपोऽनित्य इति सिद्धान्तः। अर्थविषयक शब्दव्यवहारस्य अनादितां सिद्धान्तयन्तो वैयाकरणाः, शब्दार्थयोः नित्यं सम्बन्धं समामेनिरे। तत्र सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे, नित्यो हि अर्थवतामथैरभिसम्बन्ध इति चोक्तं महाभाष्यकृता पतञ्जलिना। तत्र दर्शन भर्तृहरिणापि महर्षयः तत्सम्बन्धं नित्यं समामनन्तीत्येव प्रोक्तम्। तत्र बीजं तु नैतत् निश्चेतुं शक्यं यत् केन कदा कस्मिन्नर्थे सङ्केतः कृत इति। परम्परया अनादिकालादेवार्थाभिधायकाः शब्दाः सङ्केतिताः समाम्नाताः। ततोऽनादिना भाव्यं शब्दार्थयोस्सम्बन्धेनापि। तदनादित्वमेव नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाताः महर्षिभिरत्यक्तम्।[२२]

नैयायिकानां मते शब्दः अर्थश्च

ध्वनिरूपः कृतकश्शब्द आम्नायते नैयायिकैः। उदीर्यमानाः घटपटादयश्शब्दाः वीचीतरङ्गकदम्बगोल-कन्यायाभ्यमन्यतरेण क्रमन्यायेन कर्णशष्कुल्यां व्यक्ता भवन्ति। अतः आकाशगुणकश्शब्द इत्याभिधीयते। एव च

---

१८. अस्मिन् विषये ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योते रसाद्यनुगुणत्वेनेतिः कारिका द्रष्टव्या (३३३)

१९. पदे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च ।
वाक्यात्पदानामन्योन्यं प्रविवेको न विद्यते ।। वा० पृ. ५० १.७३

२०. उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालिताः ।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततस्सत्यं समीहते ।। वा० प० २-२३८.

२१. प्रणापानान्तरे देवी वाग्वै नित्यं सा तिष्ठति ।
स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा ।। वैखरी वाक्प्रयोक्तॄणां प्राणवृत्तिनिबन्धनी ।
केवलं बुद्ध्युपादानक्रमरूपानुपातिनी ।। वै० सि० ल० म० य० ४१.

२२. इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादियोग्यता यथा। अनादिरथैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ।। वै० भू० सा० १० १८८

संयोगविभागजश्शब्द: कारणवदनित्य:। स च आप्तोपदेशरूप:।[२३] पारमार्थिकपूर्वपूर्वपदपदार्थानुभवजनितसंस्कार-सहितोऽन्त्यवर्ण एव शब्दरूपोऽर्थप्रतिपादक:।[२४] एवं शब्दस्यानित्यत्वं (नैयायिकै:) वर्णस्यार्थप्रतिपादकत्वमाप्तो-पदेशस्य शब्दत्वं च संसाधितम्।

तेषां मते जात्याकृतिव्यक्तिरूपेषु उपाधिषु यथायथं प्राधान्याप्राधान्यभावेन एकस्य द्वयोर्वा शब्दस्याभिधेयत्वं सिद्धम्।[२५]

नैयायिकानाम्नते शब्दार्थयोस्सम्बन्धोऽनित्य: (कृत्रिमो वा)

गौतमेन न्यायसूत्रे कार्यत्वात् शब्दानित्यत्वं समर्थितम्। शब्दस्य कृतकत्वरूपेण हेतुनापि शब्दार्थयो: यस्सम्बन्धो वर्तते स सम्बन्धोऽनित्य:। अन्यतरस्य सम्बध्यमानस्य शब्दस्य कृतकत्वात्।[२६] नैयायिकानां मते वाचकवाच्ययोर्नित्यस्सम्बन्धोऽनुपपन्नस्सम्बन्धस्सामयिको वर्तते। सामयिकश्शब्दार्थसम्प्रत्ययो न स्वाभाविक इत्युक्तम्।[२७] ऋष्यार्यम्लेच्छानां यथाकामं शब्दविनियोगोऽर्थप्रत्यायनञ्च प्रवर्तते। यदि स्वाभाविकस्सम्बन्धोऽभविष्यत् तर्हि शब्दप्रयोगोऽर्थत्रत्यायनाय ऐच्छिक: यथाकामं च नाभविष्यत्। प्राचीननैयायिकास्तु शब्दार्थयोस्सम्बन्ध-मीश्वरेच्छाहेतुकमामनन्ति। पारिभाषिकशब्दानान्तु मनुष्येच्छाया: कारणत्वं कथयन्ति।[२८] एवं च नैयायिका: साङ्केतिकश्शब्दार्थयोस्सम्बन्ध इत्यङ्गीकुर्वन्ति ।)

-प्रशिक्षित-स्नातक-शिक्षिका
खेतान विद्यालय:, नोएडा,
उत्तरप्रदेश:-२०१३०१

---

२३. आप्तोपदेश: शब्द:। न्या० द० १.१७. आदिमत्त्वादैन्द्रियकत्वात् कृतकवदुपचाराच्च न्या० ८० १-२३
अप्तोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थसम्प्रत्यय: । १.२.५३.
न सामयिकत्वाच्छब्दार्थसम्प्रत्ययस्य । १.२.५६.
जातिविशेषे चानियमात् १.२.५७.

२४. प्रत्येकपदानुभवजन्यसंस्कारैश्चरमतावद्विषयकस्मरणस्याव्यवधानेनोत्पत्ते:
तावत्पदसंस्कारसहितचरमवर्णज्ञानस्योद्बोधकत्वात् । सि० मु० श० ख०

२५. जात्याकृतिव्यक्तयस्तु पदार्थ: । न्या० द०, २.२६५
व्यक्तिर्गुणविशेषाश्रयो मूर्ति: । २.२.६६.
आकृतिर्जातिलिङ्गाख्या । २.२६७.
समानप्रसवात्मिका जाति: । २.२.६८

२६. आदिमत्त्वादैन्द्रियकत्वात्कृतकवदुपचाराच्च । १.२. ५३.

२७. जातिविशेषे चानियमात् । न्या० ८० २.१.५६.

२८. शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्ध: ।
स चास्मात्पदादय अर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छारूप:। न्या० सि० मु० शा० ख०

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया- शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका

-डॉ अशोक कुमार

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन पर्यन्त चलने वाली उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित, संगठित और नियोजित रूप से शिक्षक द्वारा संचालित की जाती है, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सीखने वाले के व्यवहार में स्थाई रूप से परिवर्तन लाना है; बशर्ते यह परिवर्तन भूख-प्यास और किसी शारीरिक पीड़ा द्वारा नहीं होना चाहिए।

चूँकि शिक्षण-अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है जिनमें शिक्षण उद्देश्यों और सीखने वाले के व्यवहार में स्थाई परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह इन दोनों उद्देश्यों (बिंदुओं) को समझना काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। उद्देश्यहीन किया गया कोई भी कार्य व्यक्ति में थकान, द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। उसी प्रकार अगर कार्य उद्देश्य पूर्ण होता है तो निश्चित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति उत्साहित, सृजनात्मक, और थकान रहित होता है। इसी तरह यदि शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण उद्देश्यों के साथ पठन-पाठन प्रक्रिया को संचालित करता है, तो वह सदैव उत्साहित, आनंदपूर्ण और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूर्ण करने में सफल होता है। इसलिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण होना अनिवार्य होता है। अब विचारणीय है की उद्देश्य का निर्धारण कैसे हो? विषयों के उद्देश्यों को कैसे समझा जाए? इन उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक महोदय ब्लूम के द्वारा दी गई टेक्सोनोमी का प्रयोग किया जाता है। अब चूँकि ब्लूम एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने व्यवहार को तीन पक्षों के रूप में वर्णित किया था। जिसमें इनकी टैक्सनॉमी के अनुसार (अ) संज्ञानात्मक पक्ष जिसमें कि व्यक्ति के मस्तिष्क (समझ, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और मूल्यांकन) आदि को सम्मिलित किया जाता है, इसी तरह (ब) भावात्मक पक्ष जिसमें सभी संवेदनाओं के जोड़ा जाता है, जैसे प्रसन्नता, चिंता, प्रशंसा, दबाव, संघर्ष इत्यादि और (स) क्रियात्मक पक्ष इसमें मुख्य रूप से उपरोक्त दोनों पक्षों को जब शिक्षार्थी (सीखने वाला) अपने व्यवहार में लाता है अर्थात् स्थाई रूप से वह उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसार उसका सोचना, समझना, महसूस करना, विश्लेषण और संश्लेषण करके विषय के अनुसार दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो कहा जा सकता है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण संचालित की गई है। इसमें महत्त्वपूर्ण बात ये है की इसी परिवर्तित व्यवहार के आधार पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उदेश्यों का मूल्याङ्कन भी शुरु हो जाता है।

अत: इस तरह शिक्षकों को शिक्षण के उद्देश्यों को समझना अनिवार्य हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य कहां से और कैसे निर्धारित होते हैं? शिक्षण उदेश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया को ब्लूम महोदय ने प्रस्तुत किया था, इस पर चर्चा आगे की जाएगी इसी तरह अब दूसरा महत्त्वपूर्ण बिंदु सीखने वाले का व्यवहार है, व्यवहार मुख्य रूप से मनोविज्ञान की आधारभूत वस्तु है, व्यक्ति के व्यवहार को मूल्यांकन की दृष्टि से तीन पक्षों में देखा जा सकता है जिसमें(अ) संज्ञानात्मक पक्ष (मस्तिष्क) (ब) भावात्मक पक्ष (हृदय) और (स) क्रियात्मक पक्ष (शारीरिक), इन तीनों पक्षों की क्रियायों के जोड़ को व्यवहार कहा जाता है। निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार को समझना ऐसा ही जैसे "शरीर में रीड की हड्डी" अत: शिक्षक द्वारा व्यवहार को संपूर्ण रूप से नहीं समझा जाएगा तब तक शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया के उद्देश्यों को व्यवस्थित और नियोजित रूप से संचालित करने में सफल नहीं हो पायेगा।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने का महत्त्वपूर्ण दायित्व शिक्षक पर निर्भर करता है शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस तरह की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जैसे "शरीर के लिए भोजन" अर्थात् शरीर के भोजन नहीं हो तो शरीर में कार्य करने की क्षमता नहीं रह पायेगी, इसी तरह शिक्षक के अभाव में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को संचालित नही किया जा सकता है। निसंदेह शिक्षक भी शैक्षिक मनोविज्ञान की समझ के आधार पर ही शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील विधि से संचालित करने में सफल होता है। इस प्रक्रिया के प्रभावशील संचालन के लिए शिक्षक को शैक्षिक मनोविज्ञान की समझ होना नितांत आवश्यक है।

मनोविज्ञान- मनोविज्ञान मानव के व्यवहार के अध्ययन की वह वैज्ञानिक विधि है जो व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया या व्यवहार करने की प्रक्रिया का एक व्यवस्थित और नियोजित अध्ययन है।

स्किनर के अनुसार - मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है।

वाटसन के अनुसार - मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है।

शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका-

शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ही छात्रों के व्यवहार में वांछित रूप से स्थाई परिवर्तन लाना होता है।

इस तरह मनोविज्ञान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के मुख्य हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाता है। अत: शिक्षकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए शैक्षिक मनौविज्ञान के महत्त्व को अधोलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझ जा सकते हैं-

शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक -

मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने के लिए शिक्षण उद्देश्यों का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि उद्देश्यों के निर्धारण के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अर्थहीन होती है। अब क्या पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? और कैसे पढ़ाना है? अब क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य यह है कि कक्षा में बच्चों के व्यवहार में स्थाई

रूप से परिवर्तन लाना है तो व्यवहार में परिवर्तन किस दिशा में लाना है? दिशा का निर्धारण शैक्षिक मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित होता है।

छात्रों के व्यवहार का अध्ययन – कक्षा में अगर शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर पाता है तो वह निश्चित रूप से कक्षा में शिक्षण प्रभावशाली तरीके से संचालित नहीं कर पायेगा। जब तक शिक्षक बच्चों की प्रत्येक क्रिया जैसे उनका बोलना, सोचना एवं करना और उनके विषय के पठन-पाठन के प्रति कैसी संवेदनाएं हैं? इन सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम को सुचारू रूप से चलाने में सफल हो पायेगा। इन सभी पक्षों की समझ शिक्षक को मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है इसलिए मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार के अध्ययन में मील का पत्थर साबित होता है।

उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन- कक्षा में उपस्थित ३०-४० बच्चों को उनके व्यक्तिगत भिन्नता के साथ समझना और पढ़ाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मनोविज्ञान सिद्धान्तों के प्रयोग द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता तथा विकास के स्तरों को सरलता से समझा जा सकता है। समझने के बाद उनकी उपयोगिता के अनुसार अर्थात् छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार रुचिपूर्ण शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इस तरह के शिक्षण से कक्षा को काफी रुचिपूर्ण और आनंददायक बनाने के साथ ही साथ छात्रों की कक्षा में सक्रिय सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब शिक्षकों को छात्रों के मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास के बारे में समझ होगी। अतः इस तरह मनोविज्ञान की भूमिका को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की जटिलता को समझना- कक्षा में अगर बच्चे हैं तो निश्चित रूप से कुछ जटिलताओं का होना तय होता है, क्योंकि एक तरफ छात्रों में सब कुछ जानने की जिज्ञासा दूसरी तरफ अनुभवों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता इसलिए कक्षा में छात्रों को अनुशासित रखना भी एक चुनौतीपूर्ण है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह चुनौती है, कि प्रत्येक छात्र मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और वातावरण के संदर्भ में भिन्न होता है। इसलिए हर छात्र अपने आप में विशिष्ट और सृजनशील होता है, और प्रत्येक छात्र की विशिष्टता और सृजनात्मकता का ध्यान रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जटिलता को दूर किया जा सकता है और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। जो सिर्फ मनोविज्ञान से ही सम्भव हो सकती है।

कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाना – शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रुचिपूर्ण रूप से सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। अब चाहे वातावरण आंतरिक हो, बाहरी हो या मनोवैज्ञानिक हो, वातावरण किसी भी प्रकार का हो उसमें शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है कि कक्षा में वह छात्रों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में सहयोगी हों। जिससे छात्र कक्षा में संपूर्णरूप से सहभागी होकर सीखें। इस प्रकार से छात्र जो भी कुछ सीखता है वह जीवन पर्यन्त चलता है अर्थात् उसकी स्थिरता अधिक होती है। इस तरह शिक्षक को वर्तमान में केवल और केवल सुविधादाता के रूप में देखा जाता है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण करायेगा तो निश्चित रूप से वह उन छात्रों को पढ़ा पायेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक की समझ के

साथ तालमेलन में होते हैं। इसलिए सुविधादाता के रूप में वह सभी छात्रों को अपने साथ जोड़कर अध्ययन को आनंदपूर्ण और रूचिपूर्ण बनाने में सफल हो पाता है।

व्यक्तिगत भिन्नता को समझना– कक्षा में प्रत्येक छात्र कुछ विशिष्ट गुणों के साथ आता है, जो एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता किसी भी रूप में हो सकती है (मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक) रूप में हो सकती है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्रत्येक बच्चे के गुणों की पहचान, अवलोकन विधि से करने में सहायक होता है, इस भिन्नता को ध्यान में रखकर कक्षा में जब शिक्षण कराया जाता है तो वह जरूर चुनौती पूर्ण होता है। इस चुनौती का सामना से शिक्षक तभी कर सकता है, जब उसे कक्षा में उपस्थित छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता की समझ हो और वह प्रत्येक छात्र की जरूरत के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। साथ ही शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाकर छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले सकता है।

बच्चों के विकास की अवस्थाओं को समझना– शिक्षक को अगर सक्रिय रूप से कक्षा में पढ़ाना हो तो उसे मनोविज्ञान की रूपरेखा को समझना अनिवार्य हो जाता है जैसे मनोविज्ञान छात्रों की आयु के अनुसार विकास की अवस्थाओं को समझने के साथ–साथ उनके बौद्धिक, व्यक्तिगत और सृजनात्मकता का वर्णन करता है अर्थात् हर अवस्था में छात्रों की ये आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न–भिन्न तरह के विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है और प्रत्येक अवस्था की आवश्यकता का वर्णन किया है। इस तरह जब हर अवस्था का विकास अलग–अलग होता हैं तो छात्रों का व्यवहार भी बदलता है अब उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों को उनकी विकास की अवस्थाओं को समझना होगा जिससे शिक्षण अधिगम– प्रक्रिया को सुचारु और सक्रिय रूप से पूरा किया जा सके।

शिक्षण को रुचि पूर्ण बनाना – शिक्षक, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण घटक होता है शिक्षक ही कक्षा में उपस्थित छात्रों का एकमात्र मार्गदर्शक होता है जब तक शिक्षक छात्रों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, सृजनात्मक, व्यक्तिगत भिन्नता, मन, चेतन, प्रेरणा, सीखने की उद्देश्य, बाल विकास की अवस्थाएं और छात्रों के वांछित व्यवहार का संपूर्ण रूप से अवगत नहीं होता है तब तक वह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को रुचि पूर्ण रूप से संचालित करने में सक्षम नहीं होगा और ना ही छात्रों को अध्ययन के प्रति सक्रिय करने में भी सफल होगा। इस तरह शिक्षक के शैक्षिक मनोविज्ञान के सभी परिप्रेक्ष्यों से अवगत होना महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है

शिक्षकों के लिए सुझाव– निःसंदेह प्रशिक्षण के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर वे समझ पाते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों को कैसे निर्धारित किया जाता है। जैसे ब्लूम टैक्सनॉमी और अन्य प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई संरचना द्वारा समझाया जाता है। अगर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्यों का सही रूप से निर्धारण नहीं किया जाता है, तो ऐसा ही होता है जैसे "बिना नाविक के नाव" और "बिना दूल्हे की बारात" बाल मनौविज्ञान की समझ के द्वारा ही छात्रों के व्यवहार को समझा जा सकता हैं। इनको अधोलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है।

शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन – अधिकांश जब हम नियमित रूप से पाठ–पाठन में जुड़ जाते हैं तो हम मनोविज्ञान जैसे विषय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जब शिक्षक अपना शिक्षण–बाल मनोविज्ञान को बिना समझे संचालित करता है, तो निःसंदेह कक्षा में छात्रों के साथ कम लगाव महसूस करता है, परिणामस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है तथा विद्यार्थियों की रुचि और सहभागिता में कमी आ जाती है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि समय–समय पर वे शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के समझें और शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाये रखें।

नियमित रूप से शैक्षिक नीतियों का अध्ययन – प्रायः शिक्षकों से संवाद करने का अवसर प्राप्त होता रहता है जिससे ज्ञात होता है कि शिक्षकों के नियमित रूप से अध्ययन में कमी है वह अपने–आप को बदलते परिवेश के साथ समायोजित करने में असफल और निराश दिखते हैं। इसका मुख्य कारण भी यही है कि उनके नियमित रूप से अध्ययन की कमी है इसलिए अध्ययन प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों के नियमित रूप से शैक्षिक नीतियों का अध्ययन करना चाहिए। जिससे वह अपने ज्ञान को वर्तमान के बदलते परिवेश के साथ समायोजित कर पाए और एक सफल और आदर्श शिक्षक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकें।

नियमित रूप से प्रशिक्षण – शिक्षकों को नियमित रूप से विषयों के साथ–साथ मूल विषयों जैसे मनोविज्ञान, दर्शन और समाजशास्त्र जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे कि बदलते हुए परिवेश के साथ–साथ छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे समझ कर उनके साथ कक्षा में वैसे ही व्यवहार करने से शिक्षकों और छात्रों के बीच एक घनिष्ठता होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों के सीखने के लिए सक्रिय रूप से अभी प्रेरित करेगी।

शिक्षक शोधार्थी के रूप में – सरल सी बात है ये कि समस्या यह है कि शिक्षक कक्षा में जिन छात्रों को पढ़ा रहा है वे छात्र परिवार, समाज, और दोस्तों में रहते हैं जहाँ पर लगातार परिवर्तन होता है। अब यह जो परिवर्तन हो रहा है इसका क्या कारण है? क्यों हो रहा है? और इन कारणों से छात्रों की अधिगम प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यह प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक इन बिंदुओं की खोज करना शिक्षक के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है और खोज को करने के लिए शिक्षकों को एक शोधार्थी के रूप में भी कार्य करना पड़ता है जिससें निश्चित रूप से छात्रों के अधिगम में भी सकारात्मक प्रभाव आएगा और उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रियता भी बढ़ेगी

नियमित अवलोकन करना – शिक्षकों का सबसे महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य छात्रों का कक्षा और कक्षा से बाहर नियमित रूप से अवलोकन करना है। शिक्षकों के अवलोकन करने की निरंतरता जितनी सघन होगी शिक्षक कक्षा में उतने ही सक्रिय रूप से शिक्षण करा पायेगा और छात्रों की कक्षा में उतनी ही तीव्रता से सहभागिता दिखाई देगी। अब अवलोकन कैसे करें?अवलोकन क्यों करें? अवलोकन के क्या लाभ होते हैं? यह विषय वस्तु मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है, जो शिक्षक के लिए महत्त्वपूर्ण होती है। मनोविज्ञान में ऐसी और भी कई विधियां है जो छात्रों के साथ–साथ स्वयं का अवलोकन करने में काफी सहयोगी होती है, जैसे स्वयं निरीक्षण करना आदि।

बदलते पाठ्यक्रम के साथ स्वयं को समायोजित करना - वास्तविक रूप से शिक्षक स्वयं को परिवर्तित करता है और होने वाले परिवर्तन के साथ स्वयं को समायोजित करने की क्षमता भी रखता है। इसलिए सही अर्थों में जो शिक्षक है और शिक्षण प्रक्रिया के सभी परिप्रेक्ष्यों को समझता है तो वह आगे वाले पाठ्यक्रम के सभी परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए उसके साथ स्वयं को समायोजित करने में सफल होता है। इसलिए मनोविज्ञान विषय की विषय वस्तु शिक्षकों को इन सभी परीक्षण से अवगत कराके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का कार्य करती है। यही एक शिक्षक की उपलब्धि है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों के बनाया जाता है और उनकी बदलती आवश्कताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा सामाजिक परिवेश के अनुरूप उसमें समय-समय पर संशोधन आवश्यक होता है इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे स्वयं को बदलते पाठ्यक्रम के साथ समायोजित करने की योग्यता को विकसित करें।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं एक पहलू के बिना दूसरा अधूरा है अर्थात् दोनों एक दूसरें के पूरक हैं। दोनों मिलकर ही किसी उद्देश्य को पूरा करने में सफल होते हैं। मनोविज्ञान ही बच्चे की सही तस्वीर प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। मनोविज्ञान को शिक्षण अधिगम से अलग नहीं किया जा सकता है अर्थ है इसके द्वारा शिक्षक छात्रों के व्यवहार का सही आकलन कर पाता है इसी आकलन के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी निर्णय को लेने में सफल होता है और वह यह भी स्पष्ट कर पता है की किस विधि से छात्रों को पढ़ाया जाए मनोवैज्ञानिक शिक्षण द्वारा ही शिक्षक अधिगम को सफल बना पाता है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बच्चों के विकास की अवस्थाओं की स्पष्टता होनी चाहिए अगर विकास की अवस्थाओं का शिक्षक को ज्ञान है तो शिक्षक और छात्रों के बीच मधुर संबंध बन पाता है और साथ ही छात्रों की कक्षा में अधिक सक्रियता हो जाती है। इसके आधार पर छात्रों का अधिगम काफी लंबे समय तक निरंतर बना रहता है और छात्र उत्साह के साथ सृजनात्मक रूप से विषय का अध्ययन कर पाते हैं।

अत: उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है जिससे अलग-अलग रूप से नहीं देखा जा सकता है।

अन्त में सफल शिक्षक वही है जो परिवर्तनशील है, जो स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए तत्पर रहता है। जो बदलते परिवेश शिक्षण प्रक्रिया के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। मनोविज्ञान की समझ को स्वयं में परिवर्तन व आने छात्रों में यथोचित परिवर्तन करने में मदद करती है।

-सहायक आचार्य
शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा आधार विभाग,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्,
नई दिल्ली

समाज में नारी की स्थिति-वेद के परिप्रेक्ष्य में

-डॉ. संगीता कुमारी

आज इस वैज्ञानिक युग में जहाँ मानव ने भौतिक उन्नति कर ली है। अनेक अविष्कार करके आकाश की ऊँचाईयों का स्पर्श कर लिया है। वहीं हमारा यह पुरुष प्रधान समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण अत्यन्त ही उपेक्षित है। निन्दनीय है। उनकी अवधारणा है कि नारी अबला है, अशक्य है, पराया धन है, परिवार का बोझ है। फिर भी उसने अपनी सहनशीलता और धैर्य का परिचय देते हुए हिम्मत के साथ परिवार, समाज से संघर्ष करते हुए समाज में अपना वर्चस्व कायम किया है। अपने महान कार्यों से उन्हें समाज में सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। जब घर में कन्या का जन्म होता है, तो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग उसे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देकर उसे कमजोर बना देते हैं। जिससे वह कुण्ठित भावनाओं का शिकार हो जाती है और उसकी इच्छाएँ मन में दबी रह जाती हैं।

हमारे समाज में नारी को जहाँ एक ओर नवरात्र के दिन शक्ति पूजा के अवसर पर कन्या पूजन रूप में पूजा जाता है तो वहीं दूसरी ओर उसे शारीरिक-मानसिक रूप से दुर्बल, हीन, उपेक्षित किया जाता है, लेकिन यह नितान्त गलत है। यदि हम कन्या का जन्म से ही भली प्रकार से प्रेमपूर्वक उसका पालन पोषण करें, उसे शिक्षा दीक्षा दें, उसे सम्मान दें, तो निश्चय ही वह कन्या बड़ी होकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं, उसका सहारा बन सकती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः- अध्याय २/५६

अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता भी निवास करते हैं। अतः हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी ही दो घरों की इज्जत होती है और वही परिवार व समाज की आधार शिला है।

यदि हम वैदिक काल पर दृष्टिपात करें तो आधुनिक युग से बेहतर समय वैदिक युग का था। वेदों में कन्याओं के प्रति दृष्टिकोण उच्चकोटि का था। पुत्र की भांति ही पुत्री का भी समाज में सम्मान था। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार यदि पिता-माता पुत्र और कन्या दोनों को ही उत्पन्न करते हैं, तब उनमें से एक पुत्र उत्कृष्ट क्रिया-कर्म का अधिकारी होता है तथा दूसरी पुत्री सम्मान युक्त होती है-

'न जामये तान्वो रिक्थमारैक्चकार गर्भं सनितुर्निर्धानम्।
यदी मातरो जनयन्त वह्निमन्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्छन्॥' ऋ०-३/३१/२

ऋग्वेद के ही एक अन्य मंत्र में शची पौलोमी के मुख से कहलाया गया है मेरे पुत्र शत्रुओं का हनन करने वाले हैं. मेरी पुत्री विराट है।

'मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट्।' ऋ०-१०/१५९/३

वेदों में कन्या को मंगल माना जाता था। अथर्ववेद में कन्या में अद्‌भुत चमत्कार पूर्ण शक्ति मानी गई है- अथर्ववेद १०/३/२०।

ऋग्वेद के एक मंत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल में भी कन्या को विवाह भोज में प्राथमिकता दी जाती थी और वे सुन्दर वस्त्र और अलंकार चारण करके भोज में जाती थी- ऋ० ४/५९/९।

वास्तविकता भी यही है कि पुत्र की भांति पुत्री भी स्त्री पुरुष के अंग-अंग से उत्पन्न हुई है अतः उसे पुत्रवत् ही मानना चाहिए। ऋग्वेद का आर्य तो पुत्र एवं पुत्री दोनों को सुवर्ण के समान मानता है-

''पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः ।
उमा हिरण्यपेशसा।'' ऋ० ८/१/८

डॉ. प्रशान्त कुमार ने ऋग्वेद के एक इषुधि' देवत्ता वाले मंत्र का ध्वनित अर्थ यह निकाला है कि वैदिक पिता अपने घर में अपनी पुत्रियों को खेलता कूदता देखकर तथा किलकारियों मारता देखकर प्रसन्न होता है ऋ०-६/७५/५।

अतः इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक माता-पिता पुत्र-पुत्री में भेद नहीं करते थे।

चाहे पुत्र-पुत्री में भेद हो या न हो, फिर भी माता-पिता के अपनी पुत्री के प्रति कुछ कर्त्तव्य होते हैं। पुत्र की ही भांति पुत्री का भी पालन और रक्षण आवश्यक कर्त्तव्य है। पुत्री ही बड़ी होकर भविष्य में नारी और फिर माता बनती है जो परिवार, समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करती है। अतः जो नारी प्रत्येक पुरुष को उत्पन्न और उसका पालन करती है, उसका श्रेष्ठ रूप से पालन करना, प्रत्येक माता-पिता का परम कर्तव्य होता है। वह चाहे पुत्री रूप में हो, पत्नी रूप में हो अथवा माँ रूप में हो, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए।

अथर्ववेद में एक स्थल पर उत्पन्न कन्या की रक्षा तथा उसे विक्षिप्त या दु:खी न करने का विवरण प्राप्त होता है - अथर्ववेद ८/६/२५।

पालन पोषण के अतिरिक्त कन्या की शिक्षा का भी पूर्ण रूपेण ध्यान रखना माता-पिता का कर्तव्य होता है।

इसके अतिरिक्त अथर्ववेद कन्या के पिता को कन्या पर कठोर नियन्त्रण रखने का भी निर्देश देता है तथा कन्या के इधर-उधर घूमने तथा वृथा हाथ फैलाने का भी निषेध करता है- अथर्ववेद १/१८/२।

अथर्ववेद में कन्या को ब्रह्मचर्य द्वारा युवा पति प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है-११/५/१८।

यजुर्वेद में भी कन्या को ब्रह्मचर्य का परामर्श दिया गया है 'हे कुमारी! तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतया पालन करो और विद्याओं को सीखकर अपनी इच्छानुसार पति चुनो। वा० सं०-३४/१०।

पालन पोषण एवं शिक्षा प्राप्त करते करते कन्या विवाह योग्य हो जाती है और माता-पिता का यह कर्त्तव्य होता है कि उसके लिए योग्य वर की खोज करें। ऋग्वेद में एक स्थल पर मिलता है कि कन्या की माता उसे अलंकृत करके 'समन' (एक प्रकार का मेला) में भेजती थी, जहाँ वह अपने प्रेमियों के साथ इच्छानुसार घूमती थी और पति का वरण भी करती थी- १/१३४/३।

फिर भी अनेक स्थलों पर पिता द्वारा भी पुत्री के विवाह के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद के दो दिव्य कन्याओं के विवाह का उल्लेख हुआ है, जिनमें कन्या के विवाह में दिये जाने वहतु (दहेज) का प्रबन्ध करने वाले पिता ही है- १०/१७/१।

वैदिक काल में नारी का पत्नी रूप में विशेष उल्लेख हुआ है। वधू बनने पर उसके लिए आर्शीवाद युक्त एक सुन्दर मंत्र -

'सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत।
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि परेतन॥'' ऋ.० १०/८५/३३

वह वधू शोभन कल्याण वाली है। सभी आशीर्वाद कर्त्ता आयें और इसे देखें। इसे स्वामी की प्रियापात्री बनने का आशीर्वाद देकर सब लोग अपने-अपने घर चले जायें।

वैदिक माता-पिता अपनी पुत्री का इतना ध्यान रखते थे कि उनकी पुत्री भविष्य में आदर्श रूप बनकर उपस्थित हो। वे सन्तान की रक्षा का स्वयं भी प्रयत्न करते थे और देवताओं से भी रक्षा की प्रार्थना करते थे। गर्भ स्थित सन्तान तथा उत्पन्न हुई सन्तान दोनों की रक्षा की प्रार्थना रूद्र से की गई है ऋ० १/११४/७।

वैदिक आर्य ने सदा विद्वान और वीर पुत्रों की कामना की। ऋ.० १/७३/९।

स्त्रियों की शिक्षा भी कदाचित् इसलिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि वैदिक आर्य जानता था कि स्त्री ही उन पुरुषों की निर्मात्री है जो समाज और राष्ट्र में सर्वत्र व्याप्त है। माता के गर्भ में पुरुष रहता है और उस काल में माता के विचारों, संस्कारों आदि का उस पर अमिट प्रभाव पड़ता है। जन्म देने के अनन्तर भी नित्य प्रति पालन-पोषण के क्रम में प्यार-प्यार में माता शिशु को अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद बातें सिखा देती है। माता के शिक्षित और अशिक्षित होने का सर्वाधिक प्रभाव उसकी सन्तान पर ही पड़ता है। प्रत्येक सामाजिक और राष्ट्रीय व्यक्ति की कोई न कोई माँ अवश्य होती है। इसी कारण नारी का पति गृह में भी अत्यधिक सम्मान होता था, क्योंकि वह सन्तानोत्पत्ति द्वारा पति के वंश में वृद्धि करने वाली होती है।

विधवा स्त्री को भी वेद ने पूर्ण सम्मान दिया। अथर्ववेद में विधवा स्त्री के दूसरे पति का स्पष्ट उल्लेख है- ''पुरातन धर्म अथवा मर्यादा का पालन करती हुई यह स्त्री पति के लोक को चाहती हुई मृत पति के पश्चात् हे मनुष्य, तेरे पास आती है। उसके लिए इस लोक में सन्तान और धन को धारण करें।

''इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पद्यत उप त्वा मर्त्य प्रेतम्।
धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि॥'' अथर्ववेद-१८/३/१।

इस प्रकार वैदिक समाज विधवा विवाह की पूर्ण अनुमति देता था। अत: यह कहना अनुचित न होगा कि वैदिक समाज स्त्रियों की प्रतिष्ठा का पूर्ण ध्यान रखने वाला आदर्श समाज था, जिसमें पुरुष को साम, तो स्त्री को ऋक्, पुरुष को आकाश, तो स्त्री को पृथिवी कहकर समान महत्त्व दिया गया है- अथर्ववेद १४/२/७१।

इस प्रकार वैदिक काल में हम स्त्रियों के प्रति सम्मान पूर्ण स्थिति देखते हैं। लेकिन आधुनिक युग में ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा। वे वैदिक युगीन उस मानव से प्रेरणा ग्रहण करें,

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद संहिता (पाँच भागों में) सायणाचार्य विरचित भाष्य सगते) वैदिक शोध मण्डल, पूना 1993

2 अथर्ववेद संहिता- डॉ० रामकृष्ण शास्त्री

3. वैदिक संहिताओं में आचार मीमांसा -डॉ० श्रीमती प्रतिभा रानी

-असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
संस्कृत विभाग,
दयाल बाग शिक्षण संस्थान,

वेदों में गणितीय सिद्धान्त : अवधारणा एवं वैज्ञानिक दृष्टि

-डॉ. रश्मि यादव

शोधसार-वेद सम्पूर्ण ज्ञान-राशि के उत्स हैं। गणित शास्त्र के अनेक सिद्धान्त अत्यन्त गहन और सूक्ष्म रूप में वैदिक वाङ्मय में अनुस्यूत हैं। गणित का बीज वेदों और वेदाङ्गों (विशेषत: छन्द एवं ज्योतिष) से ही प्रस्फुटित हुआ है। गणित की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों और उनके परस्पर सम्बन्ध, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। वैदिक गणित मुख्यत: संख्याओं, गणना पद्धति, ज्यामिति (शुल्बसूत्रों में) तथा गोल-सम्बन्धी गणनाओं से जुड़ा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में "एक" से लेकर "कोटि" (१ करोड़) तक की संख्याओं का उल्लेख है। वेदों में प्रत्यक्ष रूप से "शून्य" शब्द गणितीय अर्थ में नहीं मिलता, परन्तु "ख"(आकाश/रिक्त) और 'शूनम्' शून्य का द्योतक है। संख्याओं की दशमलव पद्धति (स्थान-मूल्य पद्धति) का संकेत भी वेदकालीन साहित्य में है, जिसका प्रामाणिक प्रयोग पिङ्गल छन्द:शास्त्र और आर्यभट्ट के गणित में हुआ। यज्ञीय वेदियों (अग्निचयन, यज्ञकुण्ड) के निर्माण में ज्यामितीय ज्ञान का सटीक प्रयोग द्रष्टव्य है। शुल्बसूत्रों में वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र मिलते हैं। बौधायन शुल्बसूत्र में पाइथागोरस प्रमेय जैसा सिद्धान्त स्पष्टत: दिखाई देता है।

बीज शब्द - अयुत, अर्बुद, परार्ध, दस गुणोत्तर, सङ्कलन, व्यवकलन, गुणन, भागहार, दशमलव, चलनकलन, शून्य, पाई, प्रमेय।

प्रस्तावना - ज्ञान-विज्ञान के समस्त आयामों की मूल अवधारणा वेदों से प्रस्फुटित हुई है। वैदिक वाङ्मय में समुपलब्ध गणितशास्त्रीय सन्दर्भ आर्ष मनीषा के गणित विषयक ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। यद्यपि वेदों में गणित पद शब्दत: प्रयुक्त नहीं हुआ है तथापि वैदिक मन्त्रों में अङ्कगणित, रेखागणित और बीजगणित से सम्बन्धित अनेक सिद्धान्त प्रत्यक्षत: एवं सङ्केत रूप में समुपलब्ध होते हैं। छान्दोग्योपनिषद् (७.१२) में उद्धृत 'राशिविद्या' गणित का ही पर्याय माना जाता है। वैदिक ज्योतिषशास्त्र एवं छन्द:शास्त्र में की गयी सटीक गणनाएँ वैदिक गणित की उन्नत दशा की सूचक है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और पृथ्वी की गति का अध्ययन करने वाले ज्योतिष शास्त्र का आधार गणित है; क्योंकि गति का सम्बन्ध गणना से है और गणना गणित का विषय है।

उपोद्घात- वैदिक मन्त्रों में गणित शास्त्र के सभी शाखाओं-अङ्कगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीजगणित, कलन इत्यादि से सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्तों के साक्ष्य समुपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में दिन-रात, मास, ऋतु और संवत्सर की गणना की गई है। इसमें दिन को १५ भागों (नाडिकाओं) में बाँटना, वर्ष को ३६० दिनों में विभाजित करना, नक्षत्रमाला की गणना, ग्रहण आदि के लिए गणितीय विधियाँ दी गई हैं। ऋग्वेद में छन्दों की गणना (गायत्री - २४ अक्षर, त्रिष्टुप -४४ अक्षर, जगती - ४८ अक्षर आदि) सटीक गणना का उदाहरण है। अङ्कगणित के मूलभूत सिद्धान्तों की गवेषणा वेदों की ऋचाओं में की जा सकती है।

अनेक वैदिक मन्त्रों में संख्याओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक, दश, शत[१], सहस्र[२], और अयुत[३] तक की संख्याओं के नाम मिलते हैं। कृष्णयजुर्वेद की काठक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी शाखा में - एक, दश (दस), शत (सौ), सहस्र (हजार), अयुत (दस हजार), नियुत (एक लाख), प्रयुत (दस लाख), अर्बुद (एक करोड़, न्यर्बुद (दस करोड़), समुद्र (एक अरब), मध्य (दस अरब), अन्त (एक खरब), परार्ध (दस खरब) तक की १८ संख्याएँ दी गयी हैं।[४] इसी प्रकार अथर्ववेद में एक से दस[५] तक की संख्या क्रम से उपदिष्ट हैं। साथ ही विंशति से लेकर शत तक की संख्याएं, अयुत और न्यर्बुद[६] का भी उल्लेख मिलता है। वेदों में अनन्त,[७] असंख्यात,[८] असंख्याता[९] और अपरिमित[१०] जैसे शब्दों के माध्यम से असंख्य संख्याओं की ओर सङ्केत किया गया है।

वैदिक संख्या पद्धति का आधार दस अंक है जिसमें दस से परार्ध तक की संख्याएँ दस गुनी होती चली गयी हैं। इस दशम-पद्धति को 'दशगुणा: संज्ञ' या 'दशगुणोत्तर संज्ञा' कहा गया है। अथर्ववेद में दशम-पद्धति का सुन्दर उदाहरण मिलता है, इसमें एक का दस से 'एका च मे दश च मे',' दो का बीस से 'द्वे च मे विंशतिश्च मे', तीन का तीस से-'तिस्रश्च मे त्रिंशच्च मे', चार का चालीस से 'चतस्रश्च मे चत्वारिंशच्च मे', पाँच का पचास से 'पञ्च च मे पञ्चाशच्च मे', छ: का साठ से 'षट् च मे षष्टिश्च मे', सात का सत्तर से-'सप्त च मे सप्ततिश्च मे', आठ का अस्सी से 'अष्ट च मेऽशीतिश्च मे', नव का नब्बे से 'नव च मे नवतिश्च मे', दस का सौ से 'दश च मे शतं च मे' और सौ का हजार से 'शतं च मे सहस्रं च'[११] साक्षात् सम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है। दशम-पद्धति का उदाहरण यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है जिसमें एक से दस, दो से बीस और तीन से तीस का निर्देश किया गया है।[१२] ऋग्वेद में 'दशगुण-अधर' पद्धति में हजार का दसवाँ भाग सौ और सौ का दसवाँ भाग दश उल्लिखित है।[१३] ऋग्वेद और अथर्ववेद में सम एवं विषम संख्याओं को आरोह और अवरोह दोनों क्रम में दर्शाया गया है।[१४] ऋग्वेद में दस पर्यन्त सम संख्याओं का उल्लेख करने के उपरान्त सौ पर्यन्त दशगुणात्मक संख्याओं- २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० का स्पष्टतया निर्देश किया गया है।[१५] यजुर्वेद में विषम (अयुग्म) संख्याओं को आरोह

१.ऋग्वेद १.२४.९

२. ऋग्वेद १.२४.९, ४.२६.७

३. ऋग्वेद ४.२६.७

४. यजुर्वेद (वाजसनेयी संहिता) १७.२- इमा मे अग्न इष्टका धेनव: सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैता०।

५. अथर्ववेद ५.१६.१-११

६. अथर्ववेद ८.८.७- तेन शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदं जघान्०।

७. ऋग्वेद १.११३.३

८. यजुर्वेद १६.५४

९. अथर्ववेद १०.८.२४

१०. अथर्ववेद ९.५.२१

११. अथर्ववेद ५.१५.१- ५.१५.११

१२. यजुर्वेद २७.३३

१३. ऋग्वेद २.१.८ त्वं सहस्राणि शता दश प्रति।

१४. ऋग्वेद,१.१६२.४; १.१४१.२; २.५.२; ५.२७.३; ८.२४.३; ४.२६.३

१५. अथर्ववेद,१.१२.१; १३.५.१६-१८; १५.१६.११

क्रम (बढ़ते क्रम) में दर्शाया गया है, यथा एक, तीन, पाँच, सात, नव, ग्यारह, तेरह, पन्द्रह, सत्रह, उन्नीस, इक्कीस, तेईस, पच्चीस, सत्ताईस, उन्तीस, इक्तीस और तैतीस।[१६] इसी प्रकार सम (युग्म) संख्याओं (Ordinal Numbers) को भी आरोह क्रम में वर्णित किया गया है, यथा चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, चौबीस, अट्ठाइस, बत्तीस, छत्तीस, चालीस, चवालिस और अड़तालीस।[१७] अथर्ववेद में ग्यारह का पहाड़ा अवरोह (घटते) क्रम में दिया गया है- नवतिर्नव (९९), अशीतिः सन्त्यष्टा (८८), सप्त सप्ततिः (७७), षष्टिश्च षट् (६६), पञ्चाशत् पञ्च (५५), चत्वारश्चत्वारिंशच्च (४४), त्रयस्त्रिंशच्च (३३), द्वौ च ते विंशतिश्च (२२), एकादश (११)।[१८] इस मंत्र में प्रत्येक संख्या क्रमशः ग्यारह कम होती गयी है।

वैदिक आर्य अङ्कगणित के आठ मूलभूत परिकर्म (सङ्कलन, व्यवकलन, गुणन, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल) में से चार परिक्रम-सङ्कलन (जोड़- Addition), व्यवकलन (घटाना- Subtraction), गुणन (Multiplication) और भागहार (Division) से परिचित थे। वैदिक संहिताओं में जोड़, घटाना, गुणा और भाग का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु संख्याओं की तुलना और संयोजन से इनकी जानकारी प्रतीत होती है। बड़ी संख्याओं को सङ्कलन और गुणन द्वारा लिखा जाता था। ऋग्वेद में ९९ के लिए 'नव साकं नवतीः' (९+९०=९९)[१९] और तैंतीस सौ उन्तालीस के लिए 'त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन् (३००+३०००+३०+९=३३३९)[२०] का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार चालीस हजार को 'चत्वार्ययुता' (४X१० हजार ४० हजार) और आठ हजार को 'अष्टा सहस्रा' (८X१०००= ८०००) उल्लिखित है।[२१] ऋग्वेद में व्यवकलन (घटाने) से सम्बद्धित कुछ मन्त्र प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, एक मंत्र में कहा गया है कि अदिति के आठ पुत्र हुए जिनमें से सात को लेकर वह स्वर्ग चली गयी और एक आकाश में रह गया (अर्थात् ८-७ = १) और वही आठवाँ पुत्र सूर्य हुआ।[२२]

वेदों में 'भाग' से सम्बद्धित अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं। एक मन्त्र में ऋषि कहता है, 'हे उषे, तुम मनुष्यों को उनका हिस्सा देती हो।[२३] अन्यत्र कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र को धन का दो हिस्सा मिलता है।[२४] वेदों में 'भिन्न या बटा' से सम्बद्धित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक-तिहाई (१/३) के लिए त्रिधा,[२५] दसवें (१/१०) के लिए 'दशानामेकं',[२६] सौवें हिस्से (१/१००) के लिए 'शततम'[२७] और एक हजारवें हिस्से (१/१०००) के लिए

१६. यजुर्वेद १४.२८-३१; १८.२४
१७. यजुर्वेद ९.३४,१४.२३-३६, १८.२५, ३९.६,
१८. अथर्ववेद १९.४७.३-५
१९. ऋग्वेद ४.२६.३
२०. ऋग्वेद ३.९.९
२१. ऋग्वेद ८.२.४१- शिक्षा विभिन्दो अस्मै चत्वार्ययुता ददत्। अष्टा परः सहस्रा।
२२. ऋग्वेद १०.७२.८- अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि।
२३. ऋग्वेद १.१२३.३ यदद्य भागं विभजासि नृभ्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते।
२४. अथर्ववेद १२.२.३५ द्विभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या।अग्निः पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः ।।
२५. ऋग्वेद २.३.१०
२६. ऋग्वेद १०.२७.१६
२७. ऋग्वेद ७.१९.५

'सहस्रधा'[२८] शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक यजुष मंत्र में चतुर्थांश (१/४) के लिए 'पाद' शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया है- 'परमात्मा का त्रिपाद् (३/४) अंश ऊर्ध्व को चला गया और एक पाद (१/४) यह संसार है।[२९] ऋग्वेद के मंत्रों में 'दशमलव पद्धति' के सङ्केत मिलते हैं, जिसमें दस ऊँगलियों को दस रस्सियों, दस योक्त्र या दश लगामों, दस धुरे के समान बताया गया है।[३०] गणितशास्त्र में दशमलव प्रणाली वैदिक मनीषा का सम्पूर्ण विश्व के लिए विशिष्ट अवदान है।

यजुर्वेद में चलनकलन (कैलकुलस-Calculus) सिद्धान्त के अनुसार संख्याओं का विन्यास किया गया है। चलनकलन निरन्तर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने वाली गणित की एक प्रमुख शाखा है, इसमें परिवर्तन की तात्कालिक दरों या ढलानों (डिफरेंशियल कैलकुलस) का अध्ययन और अतिसूक्ष्म अंतरों या क्षेत्रों का योग (इंटीग्रल कैलकुलस) शामिल हैं। यजुर्वेद में चलनकलन सिद्धान्त से सम्बन्धित निम्नलिखित मन्त्र द्रष्टव्य है-**एका च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मऽएकत्रिंशच्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।**[३१] इस मन्त्र में क्रमानुसार एक से सत्रह की संख्याओं का वर्ग किया गया है। पूर्वसंख्या के वर्ग को परसंख्या के वर्ग से घटाने के परिणामस्वरूप प्राप्त संख्या को क्रमानुसार उपदिष्ट किया गया है। इस मन्त्र में वर्णित चलनकलन को अग्रलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है।

$०^२ =$ ०

$१^२ =$ १-०=१

$२^२ =$ ४-१=३

$३^२ =$ ९-४=५

$४^२ =$ १६-९=७

$५^२ =$ २५-१६=९

$६^२ =$ ३६-२५=११

$७^२ =$ ४९-३६=१३

$८^२ =$ ६४-४९=१५

$९^२ =$ ८१-६४=१७

$१०^२ =$ १००-८१=१९

२८. ऋग्वेद १०.११४.८. अथर्ववेद १०.७.९

२९. यजुर्वेद ३१.४ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादोऽस्येहाभवत्पुन:।

३०. ऋग्वेद १०.९४.७-८- दशावनिभ्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्य:।
दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहदभ्य: ॥

३१. यजुर्वेद १८.२४